


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/मुकुलिका व अन्य/एसबीसिया /16105/2019 दिनांक 02.12.2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.09.2019 के अध्यक्षीन श्री हाफिज मोहम्मद खान का अंतरिम समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामलोर, गडरा रोड जिला बाडमेर किया गया था। श्री हाफिज मोहम्मद खान, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन स्थान संशोधित किया जाकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तामलोर, गडरारोड जिला बाडमेर के स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साहवा, तारानगर जिला चुरु किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय न्यायालय द्वारा याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन रहेगा।


(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/मुकुलिका व अन्य/16105/2019

दिनांक: 24/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/चुरु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाडेसर/चुरु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बाडेसर/चुरु।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)